

The Office of District Magistrate, Moradabad

Ref: 426/N-13/868/2022/General

Date 23-03-2023

To,

Through E-Filing (E-mail : judicial-ngt@gov.in)

The Registrar,
Hon'ble National Green Tribunal,
Copernicus Marg, New Delhi.

Sub: Regarding joint inspection Report in compliance of Hon'ble NGT order dated 11-01-2023 in the matter of Adesh Kumar Yadav Vs State of U.P. in Original Application no. 868/2022.

Sir,

In compliance of the direction passed by Hon'ble National Green Tribunal dated 11-01-2023 on the above mentioned matter, joint inspection report is hereby attached with a request to put up before Hon'ble National Green Tribunal for kind perusal.

Yours Sincerely,



(Shailendra Kumar Singh)
District Magistrate

Copy To: Member Secretary, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.


District Magistrate

Joint Inspection Report

In the matter of

Adesh Kumar Yadav

V/S

State of Uttar Pradesh

(O.A. No. 868/2022)

Hon'ble National Green Tribunal

(Order dated 11th Jan, 2023)

Inspection done by

(Joint Committee on dated 17-01-2023)

Contents

1- Background.

2- Inspection/Observation.

3- Conclusion.

att. (5)

Joint Inspection Report in compliance of the directions issued by Hon'ble NGT on 11.01.2023 in the matter of Adesh Kumar Yadav V/S State of Uttar Pradesh in O.A. No. 868/2022.

1- Background :-

Hon'ble NGT, New Delhi has passed an order on 11.01.2023 in the matter of Adesh Kumar Yadav V/S State of Uttar Pradesh in O.A. No. 868/2022. The main part of the order is reproduced as follows –

"2. The complaint is that M/s Torrent Gas Pvt. Ltd, Gata No. 345/1 has raised illegal construction at Gata No. 345/1, area 345 sq. mtr, which is a part of flood plain of River Ramganga and any construction on the flood plain zone of river which is tributary of River Ganga is prohibited. Therefore, illegal activities of construction are causing damage to environment and also it may result in submergence of land of the applicant which is adjacent to the aforesaid gata.

3. In our view, it would be appropriate to obtain a factual report for the purpose whereof, we constitute a joint committee of State PCB and District Magistrate, Moradabad who shall visit the premises, collect relevant information and submit a factual report including the details of action taken, if any, within two months by e-mail....."

2- Inspection/Observations-

In compliance to the aforesaid direction, a joint committee comprising the officials of the Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Moradabad and District Administration, Moradabad visited the site of M/s Torrent Gas Pvt. Ltd., Village Saifpur Palla, Tehsil & district Moradabad on 17-01-2023. During inspection, the representative of the unit Shri Anadi Dixit, Vice President and Shri Prabhash Kumar, Manager were present. The observations are as follows-

- i. The said unit M/s Torrent Gas Pvt. Ltd. has established a City Gas Distribution Station (CGS) at khata no. 312, Gata no. 345/1, village Saifpur Palla, Tehsil & district Moradabad just adjacent to the office of Gas Authority of India Ltd. (GAIL) for providing the piped gas to the citizen of Moradabad through pipeline, which is operational. The supply of natural gas is being obtained from GAIL.
- ii. The unit is having consent to operate under section 25/26 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and 21/22 of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981, which are valid upto 31.07.2025. Copy is annexed as **Annexure- 1**.
- iii. M/s Torrent Gas Pvt. Ltd. has been authorized by the Petroleum and Gas Regulatory Board of the Government of India for laying of gas pipeline, setting of C.N.G. station and domestic gas supply etc. in Moradabad.



②

- iv. The site of the said unit is not covered under the master plan of Moradabad Development Authority, Moradabad and situated in rural area. Further, Sub-Divisional Officer, Sadar, Moradabad vide order dated 21.09.2020 has declared Khata number 312, Gata number 345/1 located in Saifpur Palla, Tehsil and district Moradabad as non-agricultural land under section 80(1) of U.P. Revenue Code 2006. Copy is annexed as **Annexure-2**.
- v. During visit the joint team has observed that at present river Ramganga is flowing at a distance of **approx 650 Meter away** from the site of M/s Torrent Gas Pvt. Ltd. located at village Saifpur Palla, Tehsil and District Moradabad.
- vi. It is also pertinent to mention that the applicant has filed Civil Misc. Writ Petition (P.I.L.) no. 50 of 2021 Adesh Kumar Yadav S/O Lallu Singh Yadav Vs State of U.P. through Principal Secretary (Irrigation and Flood Control) Government of U.P. and others before Hon'ble High Court of Judicature at Allahabad and the matter is pending. Copy is annexed as **Annexure- 3**.
- vii. In compliance to the order of Hon'ble NGT, District Magistrate, Moradabad vide letter no. 1829-2@vk'kq0,u0th0Vh0/2023 dated 18.01.2023 has directed to Irrigation Department, Moradabad for providing information regarding whether construction of said unit M/s Torrent Gas Pvt. Ltd., village Saifpur Palla, Tehsil & district Moradabad is covered in flood plain zone of river Ramganga or not. Further, Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Moradabad vide letter no. 157/N-13/868/22/General dated 01.02.2023 and letter No. 329/N-13/868/22/General dated 03.03.2023, has also requested to Irrigation Department, Moradabad to provide information on above matter. Copies are annexed as **Annexure-4, 5 & 6**.
- viii. In this reference, letter no. 2096/मुअपूगं/जांच-जनरल dated 18-03-2023 issued by the office of the Chief Engineer (Eastern Ganga), Irrigation and Water Resources Department, Uttar Pradesh, Moradabad has been received. According to the said letter, it is informed that " a letter had been written to Executive Engineer, Water Science Section, Bahadarabad to provide a Performa bill of the possible cost for providing latitude and longitude for both sides of the river by marking the no development zone and regulatory zone by conducting a survey for the flood plain zone from Bijnor to Kannauj on both sides of the river Ramganga." Further, it is also informed that the situation will be clear only after the demarcation of the flood plain zone of river Ramganga whether the construction made by Torrent Gas Pvt. Ltd. located at village Saifpur Palla is in flood plain zone of river Ramganga or not. Copy is annexed as **Annexure -7**. A joint inspection report of the officials of Irrigation department is also attached with such letter in which it is clearly mentioned that -

"साथ ही यह भी अवगत कराना है कि तटबंध बनाने के लिए मानक के अनुसार रामगंगा नदी के मध्य से दूरी 615मीटर आती है जबकि प्लांट नदी से 650मीटर से अधिक दूर है।"




- ix. It is further to be noticed that, the complaint was raised due to the letter dated 21-09-2020 of Flood Division, Irrigation Department, Moradabad. In above letter it was stated that the said unit falls under flood zone of river Ramganga but according to the letter no. 2096/मुअपूर्णा/जांच-जनरल dated 18-03-2023 of the Chief Engineer (Eastern Ganga), Irrigation and Water Resources Department, Uttar Pradesh, Moradabad, it was stated that the situation is not clear about flood zone at present . Copy is annexed as **Annexure -8.**

3- Conclusion-

It is submitted that clear information about flood zone of river Ramganga is not provided by Irrigation Department, Moradabad. Hence, it may not be decided whether the construction made by M/s Torrent Gas Pvt. Ltd. at Khata no. 312, Gata no. 345/1, village Saifpur Palla, Tehsil & District Moradabad is in flood plain Zone of river Ram Ganga or not.

5- Photographs of the site -



Handwritten signature or initials.

Handwritten number 5 in a circle.

Handwritten number 4 in a circle.



Above report is being submitted for Kind perusal and necessary action.

S. No.	Name	Designation	Signature
1	Yugraj Singh	Additional District Magistrate (F/R), Moradabad	
2	Vikas Mishra	Regional Officer, U.P. Pollution Control Board, Moradabad	



UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
Building. No TC-12V Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010

Phone:0522-2720828,2720831, Fax:0522-2720764, Email: info@uppcb.com, Website: www.uppcb.com

CONSENT ORDER

Ref No. -
116878/UPPCB/Moradabad(UPPCBRO)/CTO/wa
ter/MORADABAD/2021

Dated : 24/02/2021

To ,

Shri NARENDRA KUMAR
M/s TORRENT GAS PVT LIMITED
345/1, VILLAGE - SAIFPUR PALLA, TEHSIL DISTRICT - MORADABAD, UTTAR
PRADESH - ,MORADABAD,244001
MORADABAD

Sub : **Consent under Section 25/26 of The Water (Prevention and control of Pollution) Act, 1974
(as amended) for discharge of effluent to M/s. TORRENT GAS PVT LIMITED**

Reference Application No :10758900

Dated :24/02/2021

1. For disposal of effluent into water body or drain or land under The Water (Prevention and control of Pollution) Act,1974 as amended (here in after referred as the act) M/s. TORRENT GAS PVT LIMITED is hereby authorized by the board for discharge of their industrial effluent generated through ETP for irrigation/river through drain and disposal of domestic effluent through septic tant/soak pit subject to general and special conditions mentioned in the annexure ,in refrence to their foresaid application .
2. This consent is valid for the period from 24/02/2021 to 31/07/2025 .
3. In spite of the conditions and provisions mentioned in this consent order UP Pollution Control Board reserves its right and powers to reconsider/amend any or all conditions under section 27(2) of the Water (Previntion and Controt of Pollution) Act, 1974 as amended .

This consent is being issued with the permission of competent authority .

VIKAS
MISHRA
Digitally signed
by VIKAS
MISHRA
Date: 2021.02.24
17:59:58 +05'30'

For and on behalf of U.P. Pollution Control Board

Regional Officer

Enclosed : As above
(condition of consent):

Copy to:

Regional Officer

U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, LUCKNOW

Annexure to Consent issued to M/s.TORRENT GAS PVT LIMITED vide

Consent Order No. 10758900/ Water

Dated : 24/02/2021

CONDITIONS OF CONSENT

1. This consent is valid only for the approved production capacity of City Gas Distribution from CGS capacity 7.2 lakh SCM/Day.
2. The quantity of maximum daily effluent discharge should not be more than the following :

Effluent Discharge Details			
S.No	Kind of Effluent	Maximum daily discharge,KL/day	Treatment facility and discharge point
1	Domestic	Drain	Septic Tank

3. Arrangement should be made for collection of water used in process and domestic effluent separately in closed water supply system. The treated domestic and industrial effluent if discharged outside the premises, if meets at the end of final discharge point, arrangement should be made for measurement of effluent and for collecting its sample. Except the effluent informed in the application for consent no other effluent should enter in the said arrangements for collection of effluent. It should also be ensured that domestic effluent should not be discharged in storm water drain .
- 4(a) The domestic effluent should be treated in treatment plant so that the should be in conformity with the following norms dated treated effluent .

Domestic Effluent		
S.No	Parameter	Standard
1	Total Suspended Solids	100 mg/l
2	BOD	30 mg/l
3	COD	250 mg/l
4	Oil & Grease	10 mg/l
5	Quantity of Discharge	0.2 KLD

- 4(b). The industrial effluent should be treated in treatment plant so that the treated effluent should be in conformity with the following norms. .

Industrial Effluent		
S.No	Parameter	Standard

5. Effluent generated in all the processes, bleed water, cooling effluent and the effluent generated from washing of floor and equipments etc should be treated before its disposal with treated industrial effluent so that it should be according to the norms prescribed under The Environment (Protection) Act,1986 or otherwise mandatory .
6. The other pollutant for which norms have not been prescribed, the same should not be more than the norms prescribed for the water used in manufacturing process of the industry .
7. The method for collecting industrial and domestic effluent and its analysis should be as per legal Indian standards and its subsequent amendments/standards prescribed under The Environment (Protection) Act, 1986.
8. The treated domestic and industrial effluent be mixed (as per the provisions of Condition No. 2) and disposed of on one disposal point. This common effluent disposal point should have arrangement for flow meter/V Notch for measuring effluent and its log book be maintained .
9. The Unit will file the renewal application at least 2 months prior to the expiry of this Order.

Specific Conditions:

1. Unit should comply the provisions of the Environment (Protection) Act 1986, the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 as amended, Plastic Waste Management Rules 2016, E- Waste (Management) Rules 2016, Solid Waste Management Rules 2016 & Hazardous and other Waste (Management and Transboundary Movement) Rules 2016 (Whichever is applicable)
2. Unit should ensure that no water logging occurred due to any type of discharge from the industry and should maintain continuous flow of discharge.
3. Unit should install rainwater harvesting system for recharge of ground water.
4. Unit shall submit the latest copy of Audited Balance Sheet/C.A. Certificate (Fixed Assets + Current Assets - Current Liabilities) so the Consent fee payable by the industry may be verified.
5. The board have right to modify any condition as & when require in compliance of any change in environmental guidelines and Hon'ble courts orders passed time to time.
6. The unit shall develop green belt as per the protocol attached with the board's office order no. H16405/220/2018/02 dated 16-02-2018 which is available on board's website. The plantation of saplings should be completed within 04 months time and action taken report shall be submitted to this office. Failing which consent would be revoked without serving any notice to the industry.
7. Unit should not discharge any kind of industrial effluent. This consent is valid for only domestic discharge of 0.20 KLD.
8. All the NOC, Licence, permission etc. shall be taken from all concerned statutory authorities.
9. The CTO is being issued as per the provision of the Environment (Protection), Act, 1986, Water (Prevention and Control of pollution) Act, 1974.
10. All safety measure should be installed as per emergency response and disaster management plan submitted.
11. Unit should comply CTE conditions issued by this office.
12. If closure order is issued by CPCB or UPPCB against the unit, then CTO issued earlier will suspended during the closure period and after ensuring the compliance and after revocation of closure order, the CTO will automatically be effective from the date of issuance of closure order revocation, with additional conditions mentioned in the closure revocation order.

Issued with the permission of competent authority .

VIKAS
MISHRA
Digitally signed
by VIKAS
MISHRA
Date: 2021.02.24
18:00:23 +05'30'

For and on behalf of U.P. Pollution Control Board .

Regional Officer



UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
Building. No TC-12V Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010

Phone:0522-2720828,2720831, Fax:0522-2720764, Email: info@uppcb.com, Website: www.uppcb.com

CONSENT ORDER

Ref No. -
116874/UPPCB/Moradabad(UPPCBRO)/CTO/air/MORADABAD/202
1

Dated : 24/02/2021

To ,

Shri NARENDRA KUMAR
M/s TORRENT GAS PVT LIMITED
345/1, VILLAGE - SAIFPUR PALLA, TEHSIL DISTRICT - MORADABAD, UTTAR
PRADESH - ,MORADABAD,244001
MORADABAD

Sub : Consent under section 21/22 of the Air (Prevention and control of Pollution) Act, 1981 (as amended)
to M/s. TORRENT GAS PVT LIMITED

Reference Application No. 10758318

Dated : 24/02/2021

1. With reference to the application for consent for emission of air pollutants from the plant of M/s TORRENT GAS PVT LIMITED. under Air Act 1981. It is being authorised for said emissions, as per the standards, in environment, by the Board as per enclosed conditions .
2. This consent is valid for the period from 24/02/2021 to 31/07/2025 .
3. In spite of the conditions and provisions mentioned in this consent order UP Pollution Control Board reserves its right and powers to reconsider/amend any or all conditions under section 21 (6) of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 as amended.

This consent is being issued with the permission of competent authority .

VIKAS
MISHRA
Digitally signed
by VIKAS
MISHRA
Date: 2021.02.24
17:54:17 +05'30'

For and on behalf of U.P. Pollution Control Board

Regional Officer

Enclosed : As above
(condition of consent):

Copy to:

Regional Officer

U.P. Pollution Control Board

Dated : 24/02/2021

CONDITIONS OF CONSENT

1. This consent is valid only for the approved production capacity of City Gas Distribution from CGS capacity 7.2 lakh SCM/Day.
2. This consent is valid only for products and quantity mentioned above. Industry shall obtain prior approval before making any modification in product/ process /fuel/ plant machinery failing which consent would be deemed void.
- 3(a) The maximum rate of emission of flue gas should not be more than the emission norms for the stacks.

3(b) Air Pollution Source Details.

Air Pollution Source Details					
S.No	Air Pollution Source	Type of Fuel	Stack No.	Parameters	Height
1	D.G.SET 40 KVA	Diesel	1	Particulate Matter	1.77 meter from the roof of nearest building

- 3(c) The emissions by various stacks into the environment should be as per the norms of the Board .

Emission Quality Details Detail			
S.No	Stack No	Parameter	Standard

4. Quantity of other pollutants should also be as per the norms prescribed by the Board/MOEF & CC/or otherwise mandatory .
5. The equipment for air pollution control system and monitoring ,as proposed by the industry and approved by the Board should be installed in their premises itself .
6. The modification or installation in the existing pollution control equipments should be done only by prior approval of Board .
7. The operation of air pollution control system and maintenance be done in such a way that the quantity of pollutants should be in accordance with the standards prescribed by the Board/MoEF & CC/or otherwise mandatory .
8. Unit should do provisions for fugitive emissions chimney/stack as per the norms of the Board/MOEF & CC/or otherwise mandatory .
9. The unit should submit the stack emissions monitoring report within one month from issuance of consent order along with the point wise compliance report of the consent order . Further quarterly monitoring report should be submitted .

The Unit will file the renewal application at least 2 months prior to the expiry of this Order.
Specific Conditions:

1. Unit should comply with the provisions of the Environment (Protection) Act 1986, the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 as amended, Plastic Waste Management Rules 2016, E- Waste (Management) Rules 2016, Solid Waste Management Rules 2016 & Hazardous and other Waste (Management and Transboundary Movement) Rules 2016 (Whichever is applicable).
2. The stack height of the D.G. Set should maintain as per Norms.
3. Unit should dispose waste oil as per the provision of Hazardous and Other Wastes (Management and Tran's boundary Movement) Rules, 2016.
4. Unit shall submit the latest copy of Audited Balance Sheet/C.A. Certificate (Fixed Assets + Current Assets - Current Liabilities) so the Consent fee payable by the industry may be verified.
5. The board have right to modify any condition as & when require in compliance of any change in environmental guidelines and Hon'ble courts orders passed time to time.
6. The unit shall develop green belt as per the protocol attached with the board's office order no. H16405/220/2018/02 dated 16-02-2018 which is available on board's website. The plantation of saplings should be completed within 04 months time and action taken report shall be submitted to this office. Failing which consent would be revoked without serving any notice to the industry.
7. All the NOC, Licence, permission etc. shall be taken from all concerned statutory authorities.
8. The CTO is being issued as per the provision of the Environment (Protection), Act, 1986, Air (Prevention and Control of pollution) Act, 1981.
9. All safety measure should be installed as per emergency response and disaster management plan submitted.
10. Unit should comply CTE conditions issued by this office.
11. If closure order is issued by CPCB or UPPCB against the unit, then CTO issued earlier will Suspended during the closure period and after ensuring the compliance and after revocation of Closure order, the CTO will automatically be effective from the date of issuance of closure order revocation, with additional conditions mentioned in the closure revocation order.


Issued with the permission of competent authority .

VIKAS
MISHRA

Digitally signed
by VIKAS
MISHRA
Date: 2021.02.24
17:59:18 +05'30'

For and on behalf of U.P. Pollution Control Board .

Regional Officer



3

C.F. 04
13~

हातायुक्त लिपि अन्तर्गत पत्रावली ओडिशा दिनांक 21-9-20

न्यायालय उप जिलाधिकारी महा मुख्यालय

काडिसंख्या 5432/2020

धारा 80 उ०उ० रा० सं० 2006

ग्राम सैफपुर पल्ला तहक जिला मुख्यालय

गैरकानूनी प्रारंभ द्वारा प्रेषित पत्रावली कोटेशन V/S उ०उ० रा० सं०

ओडिशा दिनांक . 21-9-2020

संलग्न हातायुक्त लिपि - 04



फाईल नं० 19536
28622

P. 10-2



नोट-इस सत्य प्रतिनिधि की
छाप प्रि. अथवा रोसिंग

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल : मुरादाबाद, जनपद : मुरादाबाद, तहसील : मुरादाबाद
वाट संख्या : 05432/2020

टीरेंट गैस प्राईवेट लि० द्वारा प्रतिनिधि श्री कल्पेश पोटादार बनाम उ० प्र० सरकार
अंतर्गत धारा- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

35

निर्णय

प्रस्तुत याद की कार्यवाही टीरेंट गैस प्रा० लि० द्वारा अपने अधिकृत प्रतिनिधि श्री कल्पेश पोटादार ए०जी०एम० प्रोजेक्ट वर्तमान तैनाती समन्वय 600 तपोवन, अम्बाही अहमदाबाद-380018 गुजरात के द्वारा उ०प्र० राजस्व संहिता-2006 की धारा-80(1) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र दिनांक 14.01.2020 जिसमें आवेदक के द्वारा प्ररनगत आराजी खाता सं०-312 की गाटा सं० 345/1, रकवाई 0.345हे० लगान 15.39 पैसे रिथत ग्राम सीफपुर पल्सा तह० व जिला मुरादाबाद को अकृषिय भूमि घोषित किये जाने पर तहसीलदार सदर मुरादाबाद की आख्या दिनांक 08.09.2020 के आधार पर याद दर्ज रजिस्टर कर प्रारम्भ की गयी।

तहसीलदार सदर मुरादाबाद द्वारा अपनी आख्या दिनांक 08.09.2020 में अंकित किया गया कि ग्राम सीफपुर पल्सा तह० व जिला मुरादाबाद रिथत गाटा सं०-345/1, रकवाई-0.360हे० के बकदर भाग 0.345हे० पर कम्पनी का नाम खाता सं०-312 पर श्रेणी-1(क) संकमणीय भूमिचर के रूप में अंकित है। प्ररनगत भूमि में खेती नहीं हो रही है। प्ररनगत भूमि में मत्स्य पालन, कुकड पालन व बागवानी भी नहीं हो रही है। प्ररनगत भूमि में घाहरदीवारी बनी है तथा अन्य निर्माण कार्य प्रगति पर है। भूमि में राज्य सरकार हितबद्ध पक्षकार नहीं है। जि० बन्दोबस्त हाल की खतीनी एंव खसरे की सत्य प्रतिनिधि सलगन है। आवेदक का शपथ पत्र एंव राजस्व अभिलेखों के अनुसार प्ररनगत भूमि का किसी राजकीय योजना में प्रस्तावित होना एंव किसी न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन होना संज्ञानित नहीं है। अकृषिक भूमि घोषित किये जाने के समन्वय में आवेदक का शपथ पत्र एंव नजरी नक्शा सलगन करते हुए प्ररनगत भूमि की उ०प्र० राजस्व संहिता-2006 की धारा 80(1) के अन्तर्गत ग्राम सीफपुर पल्सा तह० व जिला मुरादाबाद रिथत गाटा सं०-345/1 रकवाई-0.360हे० के बकदर भाग 0.345हे० जिसकी वर्तमान में जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्धारित दर मूल्यांकन सूची के अनुसार मालियत 35,00,000/- प्रति हे० निर्धारित है, निर्धारित दर से कम्पनी की भूमि की मालियत 12,07,500/- होती है, जिसका 1 प्रतिशत 12,075/- (बारह हजार पिछत्तर रु०) होता है। कम्पनी की 0.345हे० भूमि को अकृषिक भूमि घोषित किये जाने की आख्या संस्तुति सहित प्रेषित की गयी है।

मैंने पत्रावली का भली-भांति अवलोकन किया। आवेदक के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 14.01.2020 के द्वारा खाता सं०-312, गाटा सं०-345/1 रकवा 0.360हे० के बकदर भाग 0.345हे० रिथत ग्राम सीफपुर पल्सा तह० व जिला मुरादाबाद जिस पर घाहरदीवारी बनी है तथा अन्य निर्माण कार्य चल रहा है, को अधिनियम की धारा-80(1) के अन्तर्गत अकृषिक भूमि घोषित किये जाने हेतु प्रार्थना की गयी है। कम्पनी के द्वारा अपने कथन के समर्थन में कम्पनी के प्रतिनिधि श्री कल्पेश पोटादार के द्वारा अपना शपथ पत्र दाखिल किया है। अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में उद्धरण खतीनी 1425-1430फ० उद्धरण खसरा-1426फ० सत्य प्रतिनिधि 1359फ०, नू-चित्र तथा मीके के फोटोग्राफ दाखिल किये गये हैं। कम्पनी की गाटा सं०-345/1, रकवा-0.360हे० में से 0.345हे० भाग जिसकी वर्तमान में जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्धारित दर मूल्यांकन सूची के अनुसार रु० 35,00,000/- प्रति हे० निर्धारित है। निर्धारित दर से आवेदक की भूमि की मालियत 12,07,500/- होती है जिसका 1 प्रतिशत रुपये आवेदक के द्वारा 12,075/- होता है। कम्पनी के द्वारा उक्त धनराशि को चालान सं० आई०जे०- 00081 दिनांक- 19.09.2020 के द्वारा भारतीय स्टेट बैंक मुरादाबाद में जमा कर चालान की मूल प्रति पत्रावली पर दाखिल की गयी है। उपरोक्त एक प्रतिशत की धनराशि तहसील आख्या के अनुसार जमा करायी गई है। यदि यह



११०-३



नोट-इस सत्य प्रमाणित
छाप प्रति अमान्य हो

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल : मुरादाबाद, जनपद : मुरादाबाद, तहसील : मुरादाबाद
वाड संख्या : 05432/2020

कंप्यूटरीकृत वाड संख्या : T202013540105432
टीरेन्ट गैस प्राईवेट लि. द्वारा प्रतिनिधि श्री कल्पेश पोटादार बनाम उ० प्र० सरकार
अन्तर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

(2)

धनराशि कम पायी जाती है तो इसके लिये कंपनी के प्रतिनिधि स्वयं जिम्मेदार होंगे और वह कम धनराशि को सरकारी खजाने में जमा करायेगे, अन्यथा यह आदेश रवतः ही निरस्त समझा जायेगा। इतनी ही धनराशि का कोर्ट जीस स्टाम्प दाखिल किया जावगा।

आदेश

अतः तहसीलदार सदर मुरादाबाद की आख्या दि० 08.09.2020 स्वीकार की जाती है। आदेश दिया जाता है कि ग्राम सैफपुर पल्ना तहसील व जिला मुरादाबाद स्थित गाटा रज०-345/1, रकबा-0.360है० के बकदर भाग 0.346है० भाग जिस पर कंपनी के द्वारा घाहर दीवारी एवं निर्माण कार्य चल रहा है। कंपनी का नाम वर्तमान खतौनी 1425-1430फ० में अन्य सहखातेदारों के साथ श्रेणी-1(क) संक्रमणीय भूमिधर के रूप में अंकित है। भूमि का उपयोग अकृषिक है। उक्त भूमि को उ०प्र० राजस्व संहिता-2006 की धारा-80(1) के अन्तर्गत कृषि भूमि से अकृषिक भूमि घोषित किया जाता है एवं लगान मुक्त किया जाता है। यदि भूमिधर इस उपधारा के अधीन घोषणा के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि के भीतर प्रस्तावित गैर कृषि सम्बन्धी गतिविधि प्रारम्भ करने में विफल रहता है तो उपधारा 80(2) के अधीन जीस या उसके आंशिक भाग की घोषणा व्यपगत हो जायेगी। तहसीलदार सदर मुरादाबाद की आख्या दिनांक 08.09.2020 इस आदेश का अंग रहेगी। कंपनी द्वारा न्याय शुल्क स्टाम्प जमा करने पर परवाना अमल दरामद जारी हो। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दपतर हो।
दिनांक:-21.09.2020



(हिमांशु वर्मा)
उपजिलाधिकारी सदर
मुरादाबाद।

PPD4

Chief Justice's Court
Serial No 803

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

PUBLIC INTEREST LITIGATION (PIL) No. - 50 of 2021

Adesh Kumar

.....Petitioner

v/s

State of U.P. and others

.....Respondents

**CORAM : HON'BLE RAJESH BINDAL, CHIEF JUSTICE
HON'BLE PIYUSH AGRAWAL, JUDGE**

ORDER

(Civil Misc. Listing Application No.10 of 2022)

Let the main petition be listed on August 22, 2022.

The application is disposed of.

(Piyush Agrawal, J.) (Rajesh Bindal, C.J.)

Allahabad
20.04.2022
Shahroz/AHA

High Court of Judicature at Allahabad

PENDING

Case Status - WRIT - PUBLIC INTEREST LITIGATION (WPIL) - [50/2021]

Generated on : 06-03-2023 at 11:20:41 am

File Received for Reporting with No. 79 on 02.01.2021

Filing No.	WPIL/8/2021	Filing Date : 02-01-2021
CNR	UPHC010001822021	Date of Registration : 13-01-2021

Case Status

First Hearing Date	19th January 2021
Next Hearing Date	---
Stage of Case	For Admission
Coram	---
Bench Type	Division Bench
Judicial Branch	WRITS Civil
Causelist Type	Additional/Unlisted List
State	UTTARPRADESH
District	MORADABAD

Petitioner/Respondent and their Advocate(s)

Petitioner	Respondent
ADESH KUMAR Advocate - HARISH KUMAR YADAV (A/H0109/2012)	1. State of U P AND 4 OTHERS 2. UP ZILADHIKARI SADAR, MORADABAD 3. D M. MORADABAD 4. TORRENT GAS PRIVATE LIMITED MORADABAD 5. ASSISTANT ENGINEER, FLOOD UPKHAND 2ND NALKOOP COLONEY CIVIL LINES MORADABAD Advocate - C.S.C. (CSC/2012) , GAURAV TRIPATHI (A/G0297/2013) , ASHUTOSH SRIVASTAVA (A/A1491/2012) .

Category Details

Category	PUBLIC INTEREST LITIGATION (370000)
Sub Category	MISCELLANEOUS (90)

IA Details

Application(s) Number	Party	Date of Filing	Next / Disposal Date	IA Status
IA/1/2021 Classification : Stay Application	ADESH KUMAR Vs State of U.P. AND 4 OTHERS Applied by (Advocate) :	13-01-2021		Pending
IA/2/2021 Classification : Vakalatnama	ADESH KUMAR Vs State of U.P. AND 4 OTHERS Applied by (Advocate) : ASHUTOSH SRIVASTAVA (A/A1491/2012)	01-02-2021		Pending
IA/3/2021 Classification : Rejoinder Affidavit	ADESH KUMAR Vs State of U.P. AND 4 OTHERS Applied by (Advocate) : C.S.C. (CSC/2012)	18-02-2021		Pending
IA/4/2021 Classification : Rejoinder Affidavit	ADESH KUMAR Vs State of U.P. AND 4 OTHERS Applied by (Advocate) : C.S.C. (CSC/2012)	18-02-2021		Pending
IA/5/2021 Classification : Rejoinder Affidavit	ADESH KUMAR Vs State of U.P. AND 4 OTHERS Applied by (Advocate) : C.S.C. (CSC/2012)	18-02-2021		Pending
IA/6/2021 Classification : Supplementry Affidavit	ADESH KUMAR Vs State of U.P. AND 4 OTHERS Applied by (Advocate) : C.S.C. (CSC/2012)	04-08-2021		Pending
IA/7/2021 Classification : Listing Application	ADESH KUMAR Vs State of U.P. AND 4 OTHERS Applied by (Advocate) : C.S.C. (CSC/2012)	29-11-2021		Pending
IA/8/2022 (144851/2022) Classification : Listing Application	ADESH KUMAR Vs State of U.P. AND 4 OTHERS Applied by (Advocate) : C.S.C. (CSC/2012)	11-04-2022		Pending
IA/9/2022 (147650/2022) Classification : Vakalatnama	ADESH KUMAR Vs State of U.P. AND 4 OTHERS Applied by (Advocate) : GAURAV TRIPATHI (A/G0297/2013)	12-04-2022		Pending
IA/10/2022 (157169/2022) Classification : Listing Application	ADESH KUMAR Vs State of U.P. AND 4 OTHERS Applied by (Advocate) : C.S.C. (CSC/2012)	18-04-2022		Pending

Listing History

Cause List Type	Hon'ble Mr./Ms./Dr. Justice \\ In chamber of Registrar(s)/Jt. Registrar(s)	Listing Date	Short Order
Transferred Additional/Unlisted List	MANOJ MISRA , MOHD. AZHAR HUSAIN IDRISI (Bench ID : 6857)	22-08-2022	PO
Transferred Additional/Unlisted List	SUNITA AGARWAL , SADHNA RANI (THAKUR) (Bench ID : 6304)	16-07-2022	PO
Daily IA List	CHIEF JUSTICE , PIYUSH AGRAWAL (Bench ID : 6552)	20-04-2022	DATE FIXED
Production Cause List	--- (Bench ID : 6552)	13-04-2022	
Additional/Unlisted List	PRITINKER DIWAKER , ASHUTOSH SRIVASTAVA (Bench ID : 6556)	21-02-2022	PO
Additional/Unlisted List	CHIEF JUSTICE , PIYUSH AGRAWAL (Bench ID : 6552)	10-01-2022	DATE FIXED
Daily IA List	CHIEF JUSTICE , PIYUSH AGRAWAL (Bench ID : 6552)	01-12-2021	DATE FIXED
Additional/Unlisted List	MUNISHWAR NATH BHANDARI , AJAI TYAGI (Bench ID : 6299)	27-07-2021	PO
Additional/Unlisted List	MUNISHWAR NATH BHANDARI , PIYUSH AGRAWAL (Bench ID : 6213)	13-07-2021	PO
Additional/Unlisted List	MUNISHWAR NATH BHANDARI , PIYUSH AGRAWAL (Bench ID : 6213)	06-07-2021	PO
Additional/Unlisted List	SANJAY YADAV , JAYANT BANERJI (Bench ID : 6207)	15-03-2021	Week Commencing
Fresh List	SANJAY YADAV , JAYANT BANERJI (Bench ID : 6207)	08-02-2021	Week Commencing
Fresh List	SANJAY YADAV , JAYANT BANERJI (Bench ID : 6207)	01-02-2021	Next Week
Fresh List	GOVIND MATHUR , SAURABH SHYAM SHAMSHERY (Bench ID : 5701)	19-01-2021	DATE FIXED

3/6/23, 11:29 AM

Case Status : Search by Case Number

Order/Judgement

#	Date	Order/Judgement
1	20-04-2022	view
2	01-12-2021	view
3	15-03-2021	view
4	08-02-2021	view
5	01-02-2021	view
6	19-01-2021	view

Disclaimer: Information is based on updation done by the Bench Secretaries or date received from concerned sections and is subject to further verification/corrections. This is not an authentic/certified copy of information regarding status of case/miscellaneous applications filed in a case. Authentic/certified information may be obtained under chapter VIII rule 30 of Allahabad High Court Rules. Mistake, if any, may be brought to the notice of Jt. Registrar(J)(Computer).

Printed on 06-03-2023 at 11:20:07 am

मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित पी.आई.एल. संख्या- 50/2021
आदेश कुमार बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य के सम्बन्ध में लघु शपथपत्र
दाखिल किए जाने हेतु आख्या :-

1. ग्राम सैफपुर पल्ला तहसील व जिला मुरादाबाद स्थित गाटा संख्या 345, 312 एवं 345/1 में टोरेन्ट गैस प्राईवेट लिमिटेड द्वारा गैस प्लांट स्थापित किया जा रहा है। टोरेन्ट गैस प्राईवेट लिमिटेड द्वारा जो गैस प्लांट स्थापित किया जा रहा है, उसके लिए प्राकृतिक गैस की सप्लाय गेल इण्डिया के प्लांट से की जायेगी, जोकि ग्राम सैफपुर पल्ला, तहसील व जिला मुरादाबाद के गाटा संख्या 367मि., 564 व 565ज में पूर्व से स्थापित है तथा प्रश्नगत टोरेन्ट गैस प्राईवेट लिमिटेड द्वारा स्थापित किये जा रहे प्लांट के ठीक बराबर में स्थित है।
2. याचिकाकर्ता द्वारा योजित जनहित याचिका में जिलाधिकारी मुरादाबाद को सम्बोधित प्रार्थना पत्र दिनांक 24.08.2020 का निस्तारण चाहा गया है। अवगत कराना है कि राजबहादुर सिंह आदि निवासीगण ग्राम पंचायत सैफपुर पल्ला, तहसील व जिला मुरादाबाद का प्रार्थना पत्र दिनांक 24.08.2020, जोकि आई0जी0आर0एस0 संदर्भ संख्या 20013520005175 से आच्छादित है, का निस्तारण दिनांक 22.09.2020 को कर दिया गया था, जिसमें टोरेन्ट गैस प्राईवेट लिमिटेड को निर्देशित किया गया था कि वह प्रश्नगत निर्माण के सड़क से दूरी के संबंध में लोक निर्माण विभाग से अनापत्ति/अभिलेख प्राप्त किये बिना मौके पर सड़क की ओर से निर्माण कार्य नहीं करेंगे।
3. भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं गैस विनियामक बोर्ड के अधीन मुरादाबाद में गैस पाईपलाईन बिछाने, सी0एन0जी0 स्टेशन स्थापित करने, घरेलू गैस कनेक्शन आदि हेतु टोरेन्ट गैस प्राईवेट लिमिटेड को प्राधिकृत किया गया है। अतः परियोजना को समयबद्ध पूर्ण कराने हेतु शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रोड कटिंग तथा अन्य समस्याओं के निराकरण के लिये कार्यालय आदेश संख्या-651/ सीए-डीएम-2020/44 दिनांक 09.10.2020 द्वारा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों हेतु पृथक-पृथक समितियों का गठन किया गया है। आदेश की प्रति संलग्न है।
4. शासनादेश संख्या- 1417बी/09-27-सिं-2-181बाड/09 दिनांक 16 मार्च, 2010 जो अनुलग्नक-3 के रूप में जनहित याचिका में संलग्न है, के बिन्दु संख्या-01 में महायोजनाओं के अन्तर्गत नदियों के किनारे आने वाले फलड प्लेन जोन से संबंधित दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं, परन्तु टोरेन्ट गैस प्राईवेट लिमिटेड द्वारा स्थापित किया जा रहा गैस प्लॉट किसी महायोजना के अन्तर्गत नहीं आता है, बल्कि यह ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है।
5. उक्त शासनादेश दिनांक 16 मार्च, 2010 के बिन्दु संख्या-02 में आर.बी.ओ. एक्ट, यू.पी. अर्बन प्लानिंग एण्ड डेवलपमेन्ट एक्ट 1973 तथा इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट एक्ट 1976 के अन्तर्गत आने वाले फलड प्लेन जोन से संबंधित दिशा-निर्देश दिये गये हैं, परन्तु टोरेन्ट गैस प्राईवेट लिमिटेड द्वारा स्थापित किया जा रहा गैस प्लॉट उपरोक्त अधिनियमों के अन्तर्गत किसी भी अधिसूचित क्षेत्रान्तर्गत स्थापित नहीं है।

6. उक्त शासनादेश दिनांक 16 मार्च, 2010 के बिन्दु संख्या-03 में दिये गये प्राविधान के अनुसार, ऐसे क्षेत्र, जोकि शासनादेश दिनांक 16.03.2010 के प्रस्तर 01 व 02 से आच्छादित नहीं हैं, में औचित्य पाये जाने पर नार्दन इण्डिया कैनल एण्ड ड्रेनेज एक्ट 1873 की धारा 55 के अन्तर्गत क्षेत्रों को अधिसूचित करते हुए फलड प्लेन जोन में किए गये अवैध निर्माण हटाये जाने के निर्देश दिये गये हैं। अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ खण्ड, मुरादाबाद ने अपने पत्र संख्या-277/बाखमु/कोर्ट केस/ दिनांक 03.02.2021 द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत स्थल उपरोक्त नार्दन इण्डिया कैनल एण्ड ड्रेनेज एक्ट 1873 की धारा 55 के अन्तर्गत अधिसूचित है अथवा नहीं, के संबंध में खण्ड में कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है।
7. उक्त शासनादेश दिनांक 16 मार्च, 2010 के बिन्दु संख्या-04 में प्राविधानित है कि जिलाधिकारियों द्वारा यू.पी. फलड इमरजेन्सी पावर (एक्वीजीशन एण्ड रिक्वीजीशन) एक्ट 1951 का प्रभावी प्रयोग किया जाए, परन्तु प्रश्नगत स्थल जिस पर गैस प्लांट का निर्माण किया जा रहा है, वह वर्तमान में बह रही रामगंगा नदी के किनारे से 650 मीटर की दूरी पर स्थित है। बाढ़ खण्ड मुरादाबाद द्वारा प्रश्नगत गैस प्लांट के निर्माण से उत्पन्न हुई कोई भी ऐसी आपातिक स्थिति विधिवत् रूप से न तो सीधे जिलाधिकारी मुरादाबाद के संज्ञान में लाई गयी और न ही कार्यालय आदेश संख्या-651/सीए-डीएम-2020/44 दिनांक 09.10.2020 द्वारा गठित समिति के माध्यम से संदर्भित की गयी, जिसके आलोक में यू.पी. फलड इमरजेन्सी पावर (एक्वीजीशन एण्ड रिक्वीजीशन) एक्ट 1951 के प्रावधानों का प्रयोग किया जाता।
8. अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ खण्ड, मुरादाबाद ने अपने पत्र संख्या-277/बाखमु/कोर्ट केस/ दिनांक 03.02.2021 द्वारा अवगत कराया है कि ग्राम सैफपुर पल्ला तहसील व जिला मुरादाबाद में टोरेन्ट गैस प्रा0 लिमिटेड द्वारा जो गैस प्लांट स्थापित/निर्मित किया जा रहा है, उसका ग्राउण्ड लेवल टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0 द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेख के आधार पर 188.103 मीटर है।
9. अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ खण्ड, मुरादाबाद ने अपने उक्त पत्र में उल्लिखित किया है कि कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक- 38/काप्रअ/यू-9/अनिम-3 दिनांक 15.01.2015 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ नदी के दोनों ओर मार्जिनल तटबंध निर्मित नहीं है, ऐसे स्थानों में 1:25 बाढ़ आवर्त का डूब क्षेत्र है।
10. अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ खण्ड, मुरादाबाद ने अपने उक्त पत्र द्वारा अवगत कराया है कि विगत 25 वर्षों में रामगंगा नदी का अधिकतम जलस्तर प्राकृतिक कारणों से रहा है। वर्ष 2010 में रामगंगा नदी में आयी बाढ़ के समय कालागढ़ बांध से छोड़े गये पानी की अधिकतम मात्रा 173825 क्यूसेक थी। हरेवली बैराज से 285380 क्यूसेक व खौ बैराज से 58861 क्यूसेक, जो कुल 344241 क्यूसेक था एवं अन्य नदियों जैसे डेला व फीका आदि का पानी मिलाकर लगभग 4.0 लाख क्यूसेक पानी गेज साइट कटघर से प्रवाहित हुआ था, जिस कारण रामगंगा नदी में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई थी। विगत 25 वर्षों में रामगंगा नदी का जलस्तर वर्षवार संलग्न है :-

क्र० सं०	दिनांक	अधिकतम गेज (कटघर रेलवे पुल)	अधिकतम गेज (निकट सैफपुर पल्ला)
1	11.09.1996	189.90	188.72
2	05.08.1997	189.54	188.38
3	18.08.1998	190.60	187.42
4	22.08.1999	189.85	188.67
5	10.06.2000	191.50	188.32
6	15.08.2001	189.80	188.62
7	09.09.2002	190.10	188.92
8	13.07.2003	190.70	187.52
9	28.08.2004	190.75	187.57
10	27.09.2005	191.26	188.08
11	04.09.2006	189.40	188.22
12	05.08.2007	189.98	188.80
13	21.07.2008	190.31	187.13
14	14.09.2009	189.94	188.76
15	21.09.2010	192.73	189.55
16	18.08.2011	191.45	188.27
17	06.08.2012	189.76	188.58
18	30.08.2013	190.23	187.05
19	20.07.2014	191.37	188.19
20	02.07.2015	189.97	186.79
21	25.07.2016	190.10	186.92
22	05.09.2017	190.54	187.36
23	28.08.2018	191.40	188.22
24	20.08.2019	189.29	186.11
25	25.08.2020	190.45	187.27

11. अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ खण्ड, मुरादाबाद ने अपने पत्र संख्या- 282 / बाखमु/कोर्ट केस/ दिनांक 04.02.2021 के अनुसार दिनांक 04.09.2020 को रामगंगा नदी का कटघर रेलवे ब्रिज पर जलस्तर 189.61 मीटर था तथा सैफपुर पल्ला के निकट जलस्तर 186.43 मीटर था। सैफपुर पल्ला में उक्त जलस्तर टोरेन्ट गैस प्रा० लि० के ग्राउण्ड लेवल 188.103 मीटर से कम है।

12. याचिका में उल्लिखित प्रार्थना पत्र दिनांक 24.08.2020 का निस्तारण किया जा चुका है तथा भारत सरकार की मंशानुरूप मुरादाबाद शहर हेतु प्राधिकृत टोरेन्ट गैस प्रा०लि० की परियोजना के समयबद्ध कियान्वयन को सुलभ एवं सफल बनाने के उद्देश्यार्थ कार्यालय आदेश संख्या-651/सीए-डीएम-2020/44 दिनांक 09.10.2020 द्वारा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों हेतु पृथक-पृथक समितियों का गठन किया जा चुका है।

प्रकरण में वस्तुस्थिति संबंधी आख्या सादर इस अनुरोध के साथ प्रस्तुत है कि प्रश्नगत जनहित याचिका में मा० न्यायालय द्वारा जो भी निर्णय पारित होगा, उसका अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

उपजिलाधिकारी,
मुरादाबाद।

जिलाधिकारी,
मुरादाबाद।

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

COUNTER AFFIDAVIT

(On behalf of Respondent No.1 & 4)

IN

CIVIL MISC. WRIT PETITION (P.I.L.) NO. 50 OF 2021

(Under Article 226 of the Constitution of India)

(DISTRICT: MORADABAD)

Adesh Kumar Son of Lallu Singh Yadav,
Resident of Village Salfpur Palla, Tehsil and District Moradabad,
Presently residing at Chidliya Tola Laxmanpuri,
Near Dr. M.K. Barayua Moradabad, District Moradabad
(U.P.) 244001.

.....PETITIONER

VERSUS

1. State of U.P. through Principal Secretary (Irrigation and Flood Control) Government Order of U.P. at Lucknow.
2. The District Magistrate/The Collector, Moradabad.
3. Up Ziladhikari Sadar, Moradabad, District Moradabad.
4. Assistant Enelneer, Flood Upkhand 2nd, Nalkoop Colony, Civil Lines, Moradabad.
5. Torrent Gas Private Limited Moradabad through Its Manager, Address-Majhola Chauraha, Delhi Road, Moradabad, District Moradabad.

.....RESPONDENTS

AFFIDAVIT OF Subhash Chandra, Aged about 50 Year, S/o Sri Balram Singh, Presently posted as Assistant Engineer, Flood Divison, Irrigation Department, Moradabad.

Religion- Hindu,

Occupation- Government Service.

(DEPONENT)

I, the deponent named above do hereby most solemnly affirm and state on oath as under :

1. That the deponent presently posted as Assistant Engineer, Flood Division, Irrigation Department, Moradabad has been duly authorized to file this affidavit on behalf of the respondent Nos. 1 & 4 as such, he is well acquainted with the facts deposed to below.
2. That, the deponent has read-over the contents of the writ petition, stay application, alongwith its annexures and is now in a position to give the parawise reply of the same as under.
3. That the contents of paragraph no.1 & 2 of the P.I.L. Writ Petition are formal in nature hence needs no comments.
4. That the contents of paragraph no.3 & 4 of the P.I.L. Writ Petition are misconceived and false hence denied. In reply, it is submitted that petitioner is resident of Village Saifpur Palla Tehsil and District Moradabad and at present he resides at Chldiya Tola Laxmanpuri Moradabad, land of petitioner is situated in front of the Toronto Gas Pvt. Ltd. Moradabad and behind the firm therefore petitioner wants to construct company after 10 Mtr. from the road which itself is clear from his representation dated 24.08.2020 so that water logging may not be done in the field and area. Therefore present P.I.L. Writ Petition is not at all in respect with public at large and is filed due to personal grudge of petitioner none of the public of the area has any grievance against the establishment of Toronto Gas Pvt. Ltd. Moradabad as it is established for providing Gas of the citizen of District Moradabad through Gas Pipe Line, therefore except petitioner none of the people of the area as well as city has any grievance with the establishment of the construction of the Toronto Gas Pvt. Ltd. Moradabad. It is also clarified here that construction of Toronto Gas Pvt. Ltd. Moradabad

Is much away from the city Moradabad and is about 10 K.M. away and is situated in village.

5. That the contents of paragraph no.5 of the P.I.L. Writ Petition are arguable in nature. However, suitable reply will be given at the time of hearing.
6. That the contents of paragraph no.6 of the P.I.L. Writ Petition are matter of record same may be verified from the record itself anything contrary to the record are false hence denied.
7. That the contents of paragraph no.7 & 8 of the P.I.L. Writ Petition are misconceived and false hence denied. In reply, it is submitted that construction of Toronto Gas Pvt. Ltd. Moradabad is 650 Mtr. away from the river Ram Ganga and is effected for some period during rainy season due to heavy rain fall and due to opening gate of Kalagarh Dam and in ordinary season there is no water logging.
8. That the contents of paragraph no.9 of the P.I.L. Writ Petition are misconceived and false hence denied. In reply, it is submitted that there is no any unauthorized construction over flood zone area. However, construction of Toronto Gas Pvt. Ltd. Moradabad is for providing Gas to the public at large and Public Sector Undertaking, office of Gas Authority of India Ltd. is situated just adjacent at Toronto Gas Pvt. Ltd. Moradabad since long and to control the pollution over city Muradabad C.N.G. Filling Station is to be established and gas connection to the public at large may be provided through pipeline.
9. That the contents of paragraph no.10 of the P.I.L. Writ Petition are misconceived and false hence denied. In reply, it is submitted that there is no such publication from side of Irrigation Department.
10. That the contents of paragraph no.11 of the P.I.L. Writ Petition are argumentative in nature. However, suitable reply will be given at the time of hearing.

11. That the contents of paragraph no.12 of the P.I.L. Writ Petition are misconceived and false hence denied. In reply, It is submitted that Toronto Gas Pvt. Ltd. Moradabad is situated 650 Mtr. away from the Ram Ganga river.
12. That the contents of paragraph no.13 of the P.I.L. Writ Petition are misconceived and false hence denied. In reply, It is submitted that land in dispute is not at all specified area of flood zone as place in dispute is situated about 10 K.M. away from the city Moradabad and is situated in Village Salfpur Palla Tehsil and District Moradabad and land in dispute is not at all notified as specific area of flood under Section 55 northern India Canal and Drainage Act 1873.
13. That the contents of paragraph no.14 of the P.I.L. Writ Petition are based on representation dated 24.08.2020 from bare perusal of the representation dated 24.08.2020 which is annexure -7 to the P.I.L. Writ Petition, prima facie grievance of the petitioner is limited to construct the company after 10 Mtr. from the road.
14. That the contents of paragraph no.15, 16 & 17 of the P.I.L. Writ Petition are matter of record. However, in reply It is submitted that respondent no.4 did not look into the record whether area notified under Section 55 northern India Canal and Drainage Act 1873 as flood area or not. However, written letter on the complaint of the petitioner presuming area to be in flood zone. It is prima facie clear from the complaint dated 24.08.2020 filed by the petitioner himself that he has no any objection for construction of company. He only wants to construct the company after 10 Mtr. from the road and provide construction of Nala so that rainy water of the area may be disposed of easily.
15. That the contents of paragraph no.18, 19, 20 & 21 of the P.I.L. Writ Petition alongwith ground are false hence denied. In reply, It is submitted that it is petitioner's grudge as he wants space for

5

flowing rainy water from his field, hence he made a complaint on 24.08.2020 that construction may be made after 10 Mtr. from the road and a Nala may be also constructed so that water logging may not be done, none of the villagers of the area concerned are against the construction of the Toronto Gas Pvt. Ltd. Moradabad as the company is constructed for controlling pollution over of City Moradabad and providing cheapest fuel to the public at large through gas pipeline, therefore present P.I.L. is not at all P.I.L., area in dispute is not at all declared flood zone as under Section 55 northern India Canal and Drainage Act 1873, therefore P.I.L. is devoid of merit and law and as such liable to be dismissed so that justice may be done with the public at large.

I, the deponent named above do hereby verify that the contents of paragraph Nos. 1, 2 of this Counter Affidavit are true to my personal knowledge; those of paragraph Nos. 3, 4, 14, 15 of this Counter Affidavit are based on perusal of records; those of paragraph Nos. 15 of this Counter Affidavit are based on legal advise; which all I believe to be true and no part of it is false and nothing material has been concealed therein.

SO HELP ME GOD.

DEPONENT

I, Sanjay Kumar Srivastava, Clerk In the office of Chief Standing Counsel, High Court, Allahabad do hereby declare that the person making this affidavit and alleging himself to be the deponent, is known to me from perusal of papers in his possession. I accordingly identify him.

CLERK

Solemnly affirmed before me on this 05th day of February 2021, at about ___ a.m./p.m. by the deponent who is identified by the aforesaid advocate.

I have satisfied myself by examining the deponent who understood the contents of this affidavit which have been read over and explained to him before me.

OATH COMMISSIONER

42

सेवा में,
श्रीमान जिलाधिकारी महोदय,
नुरादाबाद

विषय: पत्रांक संख्या: C-195 दिनांक: 18/9/2020 को जांचोपरांत सहायक अभियंता बाठ छंड में
द्वारा कटघर में टॉरेंट गैस कंपनी के द्वारा अवैध रूप से बनाये जा रहे गैस प्लांट का कार्य रूकवान एवं डगल्ल दिनांक
F.I.R दर्ज कर कार्य के सम्बन्ध में।

महोदय,
निवेदन है की प्राथी यान हिरदयपुर धाना कटघर का रहने वाला है। यान सैफपुर पल्ला में टॉरेंट गैस कंपनी
फ्लड-प्लेन जोन में अवैध निर्माण/अतिक्रमण प्लांट के अधिकारियों द्वारा सड़क के किनारे ही रोड से कोई स्पेस
न देते हुए यान वस्तियों की जान जोखिम में डालकर बिगा नाला निर्माण कराये व सड़क से स्पेस न छोड़ते हुए
अवैध निर्माण जारी है, पूरा गांव बाठ पीड़ित है। शिकायत करने पर सहायक अभियंता बाठ छंड (2)
नुरादाबाद श्री सुभाष चंद्रा द्वारा दिनांक 18/9/2020 को जांचोपरांत समुचित धाराओं में प्रथम सूचना
रिपोर्ट दोषियों के विरुद्ध दर्ज करने व कार्यवाही करने हेतु दिए गए परन्तु दोषियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही न
होने के कारण टॉरेंट गैस कंपनी के अफसर लगातार अवैध निर्माण / अतिक्रमण कर रहे हैं कार्य जारी है। धाना
कटघर के द्वारा दोषियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही न करने एवं F.I.R दर्ज न करने एवं अवैध निर्माण
कार्य को न रूकवान की जाच कर कार्यवाही किये जाना न्यायाधीन में नितांत आवश्यक है।

अतः प्रार्थना है की 18/9/2020 को धाना कटघर में दिए गए प्रार्थना पत्र संख्या C-195 के अनुसार
अवैध निर्माण कार्य को रूकवाने व F.I.R दर्ज करवाकर दोषियों के विरुद्ध शीघ्रतः शीघ्र कठोर कानूनी
कार्यवाही अमल में लाये जाने की कृपा करें।

अपकी अति कृपा होगी।

दिनांक: 30-9-2020.

- 1) छाया प्रतिलिपि F.I.R आदेश दि: 18/9/2020
- 2) शासनादेश प्रतिलिपि उत्तर प्रदेश सरकार
- 3) बाठ छंड द्वितीय नुरादाबाद द्वारा कार्य
रोकने सम्बंधित आदेश 3/9/2020
- 4) शिकायत प्रार्थनापत्र दि: 24/8/2020

आदेश कुमार यादव, पुत्र श्री लल्लू सिंह यादव
एवं सनरत्न यामवाली
यान: हिरदयपुर, धाना: कटघर
जिला: नुरादाबाद
मोबाइल नंबर: 8191098688

प्राथी

30/9/20

- 1) लक्ष्मी अमरपुर पल्ला
 2) रामकुमार सैफपुर पल्ला
 3) रामपाल सैफपुर पल्ला
 4) [Redacted] सैफपुर पल्ला
 5) [Redacted] सैफपुर पल्ला
 6) हरिहर सैफपुर पल्ला
 7) [Redacted] सैफपुर पल्ला
 8) [Redacted] मिलाक खरापुर वीज

- अमरपुर पल्ला मिलाक खरापुर
 9) श्रीधर कुमार पंडित नमाला मुरादाबाद
 10) राम नाथ शर्मा अरुण बाजी
 11) [Redacted] KHADAKPUR BAJI
 12) अमरनाथ (मंगल वीज) खरकपुर वीज
 13) मुनीष शारदा जी (एवपपुर)
 14) [Redacted] Kharaipur Bajji
 15) महोपायान सिंह
 16) Kamal singh - jata suwalpur
 17) सलम-9 5/10 सैफपुर पल्ला जैतिया साइल्लापुर
 18) अहमदन-अली 5/10 गन्धे राजीजी जैतिया साइल्लापुर
 19) रामेश कुमार 5/10 अजाराभा हसन जैतिया साइल्लापुर
 20) शीतल भावरा 8/10 जयपालसिंह हसन-दिशपुर
 21-

- 22- ~~कामाजी~~ ~~...~~ ग्राम सिकन्दरपुर पट्टी
- 23 ~~...~~ ग्राम सिकन्दरपुर पट्टी
- 24 ~~...~~ भूनाथसिंह मिलाव अरगपुर
- 25 ~~...~~ गुनेन्द्र सिंह मिलाव अरगपुर बाजे
- 26 ~~...~~ विद्याराग मिलाव अरगपुर बाजे
- 27 ~~...~~ सुनेशकर मिलाव अरगपुर बाजे
- 28 ~~...~~ भूनाथसिंह मिलाव अरगपुर बाजे
- 29 ~~...~~ सुन्दरसिंह मिलाव अरगपुर पट्टी

सेवा में,

श्रीमान जिलाधिकारी महोदय,
मुरादाबाद।

विषय:-पत्रांक संख्या-सी-195 दिनांक: 18-09-2020 को जॉचोपरान्त सहायक अभियंता बाढ खंड के द्वारा थाना कटघर पर टोरेट गैस कम्पनी के द्वारा अवैध रूप से बनाये जा रहे गैस प्लांट का कार्य रुकवाने एवं उनके विरुद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

नितेदन है कि प्रार्थी ग्राम हिरदयपुर थाना कटघर का रहने वाला है। ग्राम सैफपुर पल्ला में टोरेट गैस कम्पनी फ्लड-प्लेन जोन में अवैध निर्माण/अतिक्रमण प्लांट के अधिकारियों द्वारा सडक के किनारे ही रोड से कोई स्पेस न देते हुए ग्रामवासियों की जान जोखिम में डालकर बिना नाला निर्माण कराये व सडक से स्पेस न छोडते हुए अवैध निर्माण जारी है, पूरा गाँव बाढ पीडित है। शिकायत करने पर सहायक अभियंता बाढ खण्ड (2) मुरादाबाद श्री सुभाष चन्द्रा द्वारा दिनांक 18-09-2020 को जॉचोपरान्त समुचित धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दोषियों के विरुद्ध दर्ज करने व कार्यवाही करने हेतु दिए गए परन्तु दोषियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही न होने के कारण टोरेट गैस कम्पनी क अफसर लगातार अवैध निर्माण/अतिक्रमण कर रहे हैं कार्य जारी है। थाना कटघर के द्वारा दोषियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही न करने एवं एफ0आई0आर0 दर्ज न करने एवं अवैध निर्माण कार्य को न रुकवाने की जॉच कर कार्यवाही किये जाना न्यायहित में नितांत आवश्यक है।

अतः प्रार्थना है कि 18-09-2020 को थाना कटघर में दिए गए प्रार्थना पत्र संख्या-सी-195 के अनुसार अवैध निर्माण कार्य को रुकवाने

46

2

वं एफ0आई0आर0दर्ज करवाकर दोषियों के विरुद्ध शीघ्रतिशीघ्र कठोर
कानूनी कार्यवाही अमल में लाये जाने की कृपा करे।

आपकी अति कृपा होगी।

दिनांक: 30-09-2020

ह0अपठनीय

प्रार्थी

आदेश कुमार यादव

पुत्र श्री लल्लू सिंह यादव

एवं समस्त ग्रामवासी

ग्राम हिरदयपुर थाना कटघर

जिला-मुरादाबाद

मोबाइल नम्बर-8191098688

1-छायाप्रतिलिपि एफ0आई0आर0 आदेश दि0 18-9-2020

2-शासनादेश प्रतिलिपि उत्तर प्रदेश सरकार

3-बाढ खण्ड द्वितीय मुरादाबाद द्वारा कार्य रोकने सम्बन्धित आदेश

3-09-2020

4-शिकायत प्रार्थना पत्र दि0 24-08-2020

50

In the High Court of Judicature at Allahabad AFFIDAVIT

Writ (P.L.) IN
Civil/Criminal Misc. Writ Petition No. _____ of 20 21
(U/Art 226 of the Const. of India) Distt. Moradabad

..... Aadesh Kumar Petitioner

Versus
..... State of U.P. and others Respondent

Affidavit of Aadesh Kumar aged about 55 years

S/o Shri Lalu Singh Yadav

R/o Village/Mohalla Chidiya Tola Laxman Puri near D.K. Barayya

P.O. and P.S. - Manjhola District - Moradabad, (U.P.) 244001

Religion Hindu Occupation Agriculture

I, the above named deponent, do hereby solemnly affirm and state as follows :-

1. That the deponent is the petitioner No. 1 Sole Petitioner + Relator of the ~~petition~~ in the above mentioned writ and is fully acquainted with the facts deposed to below and those stated in the writ petition.

2. That the contents of paragraph 1st of this affidavit and those of paragraphs 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, of the writ petition are true to the personal knowledge of the deponent, those of paragraphs 1, 5, 6, 15, 16, 17, 18,

..... of the writ petition are based on perusal of records, those of paragraphs

..... are based on information received by the deponent, those of paragraphs 11, 20, 21

..... of the writ petition are based on legal advises which also the deponent verily believes to be true, that nothing material has been concealed and no part of this affidavit is false.. So help me God.

DEPONENT

Harish K. Yadav ~~Advocate~~ Advocate
High Court, Allahabad do hereby identify the deponent from perusal of the papers in his possession. I am satisfied that he is the same person making this affidavit.

Harish K. Yadav
CLERK / ADVOCATE
01/10/2012

L.T.I. of the Deponent

Solemnly affirmed before me this day of 20.....
at A.M./P.M. by the deponent, who is identified by aforesaid. I have satisfied myself by examining the deponent that he understands the contents of this affidavit which have been read over and explained to him.

OATH COMMISSIONER

(42)

Annexure-4

डायरी नं०.....
सीरियल नं०.....
फाइल नं० N-13/.....
दिनांक..... 20-1-23

कार्यालय जिलाधिकारी, मुरादाबाद

पत्रांक / 829-2 आशु0-एन0जी0टी0 / 2023

दिनांक- 18 जनवरी, 2023

मुख्य अभियन्ता, (पूर्वी गंगा)
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग
उ0प्र0, मुरादाबाद।

विषय : माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, भारत सरकार नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 868 / 2022 के संबंध में।

कृपया उपर्युक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके अन्तर्गत माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, भारत सरकार नई दिल्ली ने अपने आदेश दिनांक 11.01.2023 में अधोहस्ताक्षरी एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रकरण में जाँच कर कार्यवाही करते हुए मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण को अवगत कराने के निर्देश दिए गए हैं। उक्त ओ0ए0 संख्या 868 / 2022 में सहायक अभियन्ता, बाढ़ उपखण्ड-द्वितीय मुरादाबाद के पत्रांक सी-201 / स0अ0-2 / सामान्य दिनांक 21.09.2020 (प्रति संलग्न) के माध्यम से उप जिलाधिकारी सदर, मुरादाबाद को अवगत कराया गया है कि उक्त क्षेत्र पलड जोन अन्तर्गत आता है तथा टोरोन्ट गैस प्रा0लि0 द्वारा किए जा रहे अवैध निर्माण को हटाने का अनुरोध किया गया है।

अतः अपेक्षा की जाती है कि सहायक अभियन्ता, बाढ़ उपखण्ड-द्वितीय मुरादाबाद के पत्रांक सी-201 / स0अ0-2 / सामान्य दिनांक 21.09.2020 में वर्णित तथ्यों विषयक एक समिति गठित करते हुए जाँच आख्या समस्त शासनादेशों सहित एक सप्ताह में उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे प्रश्नगत ओ0ए0 संख्या 868 / 2022 में कार्यवाही कर दस्तुस्थिति से माननीय न्यायालय को अवगत कराया जाना संभव हो सके। इसके अतिरिक्त प्रश्नगत प्रकरण ग्राम सैफपुर पल्ला स्थित टोरोन्ट गैस प्रा0लि0 के निर्माण से संबंधित है। अतः विभागीय अभिलेखों के अनुसार उक्त क्षेत्र पलड जोन में स्थित है या नहीं, स्थिति स्पष्ट करते हुए अवगत कराएं।
संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
जिलाधिकारी
मुरादाबाद

संख्या एवं दिनांक : तदैव।

प्रतिलिपि : क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद को सूचनार्थ एवं आ0का0हेतु प्रेषित।

AEB

जिलाधिकारी
मुरादाबाद



क्षेत्रीय कार्यालय
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1-ए/आई.एन.एस.-1, आवास विकास कालोनी, बौद्ध विहार,
दिल्ली रोड, मुरादाबाद

ई-मेल : romoradabad@uppcb.in, दूरगाप : 0591-2972012

पत्र संख्या 157/N-13/868/22/जनरल

दिनांक 01.02.2023

सेवा में,

मा० एन.जी.टी. प्रकरण

मुख्य अभियन्ता (पूर्वी गंगा),
सिचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ०प्र०, मुरादाबाद।

विषय- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ.ए. संख्या 868/2022 आदेश कुमार यादव बनाम स्टेट आफ यू.पी.
में पारित आदेश दिनांक 11.01.2023 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक जिलाधिकारी महोदय, मुरादाबाद के पत्रांक 1829-2/आशु०-एन.जी.टी./2023 दिनांक 18.01.2023 जिसकी प्रति अधोहस्ताक्षरी को भी पृष्ठांकित की गयी है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें (छायाप्रति संलग्न)। उक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से सहायक अभियन्ता, बाढ़ उपखण्ड-द्वितीय, मुरादाबाद के पत्रांक सी-201/स०अ०-2/सामान्य दिनांक 21.09.2020 में वर्णित तथ्यों विषयक समिति गठित करते हुए जाँच आख्या शासनादेशों सहित एक सप्ताह में उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी थी, जो कि अभी तक अप्राप्त है।

अतः उक्त के क्रम में प्रकरण की महत्ता के दृष्टिगत आपसे अनुरोध है कि प्रश्नगत प्रकरण ग्राम सैफपुर पल्ला स्थित टोरेन्ट गैस प्रा० लि० का स्थल विभागीय अभिलेखों के अनुसार फलड क्षेत्र में स्थित है या नहीं के संबंध में स्पष्ट आख्या से जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराते हुए इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे कि मा० अधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में तथ्यात्मक रिपोर्ट कार्यवाही सहित ससमय प्रस्तुत की जा सके। अग्रेतर मा० अधिकरण के समक्ष संदर्भित प्रकरण पर अग्रिम सुनवाई की तिथि दिनांक 27.03.2023 नियत की गयी है।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय

(विकास मिश्र)

क्षेत्रीय अधिकारी

oll

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी महोदय, मुरादाबाद को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

oll



क्षेत्रीय कार्यालय
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1-ए/आई.एन.एस.-1, आवास विकास कालोनी, बौद्ध विहार,
दिल्ली रोड, मुरादाबाद

ई-मेल : romoradabad@uppcb.in, दूरभाष : 0591-2972012

पत्र संख्या 329/N-13/868/22/जनरल

दिनांक 03.03.2023

मा० एन.जी.टी. प्रकरण

सेवा में,

1. मुख्य अभियन्ता (पूर्वी गंगा),
सिचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ०प्र०, मुरादाबाद।
2. अधीक्षण अभियन्ता,
सिचाई विभाग, मुरादाबाद

ई-मेल

विषय- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ.ए. संख्या 868/2022 आदेश कुमार यादव बनाम स्टेट आफ यू.पी.
में पारित आदेश दिनांक 11.01.2023 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक जिलाधिकारी महोदय, मुरादाबाद के पत्रांक 1829-2/आशु०-एन.जी.टी./2023 दिनांक 18.01.2023 तथा इस कार्यालय के पत्र संख्या 157/एन-13/868/22/जनरल दिनांक 01.02.2023, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त संदर्भित पत्रों के माध्यम से मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ.ए. संख्या 868/2022 आदेश कुमार यादव बनाम स्टेट आफ यू.पी. में पारित आदेश दिनांक 11.01.2023 के अनुपालन में प्रश्नगत प्रकरण ग्राम सैफपुर पल्ला स्थित टोरेन्ट गैस प्रा० लि० का स्थल विभागीय अभिलेखों के अनुसार फलड क्षेत्र में स्थित है या नहीं के संबंध में आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी थी, जो कि अभी तक अप्राप्त है।

अतः उक्त के क्रम में प्रकरण की महत्ता के दृष्टिगत आपसे पुनः अनुरोध है कि प्रश्नगत प्रकरण पर आख्या इस कार्यालय को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे कि मा० अधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में तथ्यात्मक रिपोर्ट कार्यवाही सहित ससमय प्रस्तुत की जा सके। उक्त के संबंध में आख्या दिनांक 12.03.2023 तक प्राप्त न होने पर उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर स्टेटस रिपोर्ट मा० अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु बोर्ड मुख्यालय प्रेषित कर दी जायेगी, जिससे भविष्य में मा० अधिकरण के द्वारा प्रतिकूल आदेश पारित होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता है। अग्रेतर अवगत हो कि मा० अधिकरण के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने के संबंध में आख्या बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ से विधिच्छित कराये जाने हेतु नियत तिथि से 15 दिन पूर्व प्रेषित किया जाना आवश्यक होता है। मा० अधिकरण के समक्ष संदर्भित प्रकरण पर अग्रिम सुनवाई की तिथि दिनांक 27.03.2023 सूचीबद्ध है।

~~संलग्नक नवयोजित~~

भवदीय

(विकास मिश्र)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी महोदय, मुरादाबाद को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (पूर्वी गंगा)
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश,
नलकूप कालोनी, सिविल लाईन,
मुरादाबाद

पत्रांक: /मुअपूगं/ जांच-जनरल/
दिनांक 2023
विषय: मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, भारत सरकार नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-868/2022 आदेश कुमार यादव बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 11.01.2023 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

संदर्भ: आपका पत्रांक-1829/आशु0-एन0जी0टी0/2023, दिनांक 18.01.2023

जिलाधिकारी, मुरादाबाद।

उपरोक्त विषयक अपने सन्दर्भित पत्रांक: 1829/आशु0- एन0जी0टी0/2023, दिनांक 18.01.2023 का अवलोकन करने की कृपा करें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त ओ0ए0 सं0-868/2022 में सहायक अभियन्ता, बाढ़ उपखण्ड-द्वितीय मुरादाबाद के पत्रांक: सी-201/स0अ0-2/सामान्य दिनांक 21.09.2020 के माध्यम से उप जिलाधिकारी सदर, मुरादाबाद को अवगत कराया गया है कि उक्त क्षेत्र फ्लड जोन आता है तथा टोरोन्ट गैस प्रा0लि0 द्वारा किये जा रहे अवैध निर्माण को हटाने का अनुरोध किया गया है। के सम्बन्ध में सहायक अभियन्ता, बाढ़ उपखण्ड-द्वितीय मुरादाबाद के पत्रांक: सी-201/स0अ0-2/सामान्य दिनांक:-21.09.2020 में वर्णित तथ्यों पर एक समिति गठित करते हुए जांच आख्या की मांग की गई है।

उक्त के क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक:-497/मुअपूगं/जांच-जनरल, दिनांक:-19.01.2023 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल, मुरादाबाद को निर्देशित किया गया, जिसके क्रम में अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल, मुरादाबाद ने अपने पत्रांक: 2091/सिंकामंमु/एन0जी0टी0, दिनांक 18.03.2023 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा प्राप्त अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ खण्ड, मुरादाबाद के पत्रांक:-460/बाखमु/रामगंगा/दिनांक:-13.03.2023 के साथ कमेटी की रिपोर्ट संलग्न करते हुए अवगत कराया है "कि रामगंगा नदी के दोनो किनारों पर जनपद बिजनौर से कन्नौज तक फ्लड प्लेन जोन हेतु सर्वेक्षण कराकर नो डेवलेपमेन्ट जोन एवं रेगुलेटरी जोन का चिन्हीकरण कर नदी के दोनो किनारों के लिये लेटीट्यूड व लांगीट्यूड उपलब्ध कराने के लिये सम्भावित लागत का विवरण उपलब्ध कराने हेतु अधिशासी अभियन्ता, जल विज्ञान खण्ड, बहादुराबाद को पत्र प्रेषित किया गया था जिसके द्वारा प्रोफार्मा बिल उपलब्ध कराने के लिये लिखा गया है।"

उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराया गया है कि रामगंगा नदी के फ्लड प्लेन जोन के डिमारकेशन की कार्यवाही के उपरान्त ही स्थिति स्पष्ट हो पायेगी कि ग्राम सैफपुर पल्ला स्थित टोरोन्ट गैस प्रा0लि0 के निर्माण से फ्लड जोन में स्थित है या नहीं। सूचना आपकी सेवा में अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक: यथोक्त।

(वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी)
कृते मुख्य अभियन्ता (पूर्वी गंगा)

पत्रांक: 2096/मुअपूगं/तदिनांक 18-03-2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है

1. अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल, मुरादाबाद को उनके पत्रांक: 2091/सिंकामंमु/एन0जी0टी0, दिनांक 18.03.2023 के क्रम में।
2. क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, 1-ए/आई0एन0एस0-1, आवास विकास कालोनी, बौद्ध विहार, दिल्ली रोड, मुरादाबाद को उनके पत्रांक-157/एन0-13868/22/ नरल, दिनांक 03.03.2023 के क्रम में।

(वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी)

कृते मुख्य अभियन्ता (पूर्वी गंगा)

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता
सिंचाई कार्य मण्डल, मुरादाबाद

दिनांक 11.02.2023
दिनांक 11.02.2023

पत्रांक: 2091/सिकामंमु/एन0जी0टी0,

दिनांक: 11/02/2023

विषय: गा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, भारत सरकार, नई दिल्ली में योजि ओ0ए0 886/2022, आदेश कुमार यादव बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक-11.01.2023 के सम्बन्ध में अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल, मुरादाबाद के पत्रांक-1176/सिकामंमु/एन0जी0टी0/ दिनांक-10.2.2023 द्वारा गठित जांच समिति के सम्बन्ध में।

मुख्य अभियन्ता (पूर्वी गंगा) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0 मुरादाबाद।

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिराके द्वारा गा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, भारत सरकार, नई दिल्ली में योजि ओ0ए0-886/2022, आदेश कुमार यादव बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक-11.01.2023 के अनुपालन में वर्णित तथ्यों पर समिति गठित करते हुए जांच आख्या उपलब्ध कराने की वांछना की गयी थी।

उक्त निर्देशों के क्रम में इस कार्यालय के ज्ञाप संख्या 1176/सिकामंमु/एन0जी0टी0, दिनांक-10.02.2023 द्वारा समिति गठित की गयी जिसके क्रम में अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ खण्ड, मुरादाबाद ने अपने पत्रांक 376/बाखमु/एन0जी0टी0, दिनांक 25.02.2023 द्वारा निरीक्षण आख्या प्रेषित की गयी थी, परन्तु उक्त आख्या में यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा था कि ग्राम सैफपुर पल्ला स्थित टोरेन्ट गैस प्रा0लि0 के निर्माण से फ्लड जोन में स्थित है या नहीं। अतः इस कार्यालय के पत्रांक 1601/सिकामंमु/एन0जी0टी0, दिनांक 03.03.2023 द्वारा पुनः निर्देशित किया गया था कि स्थिति स्पष्ट कर जांच आख्या समस्त शासनादेशों सहित तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

तत्क्रम में अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ खण्ड, मुरादाबाद ने पुनः अपने पत्रांक 460/बाखमु/रामगंगा, दिनांक 13.03.2023 (छायाप्रति संलग्न) जांच आख्या प्रेषित की है जिसमें अवगत कराया गया है कि रामगंगा नदी के दोनो किनारों पर जनपद बिजनौर से कन्नौज तक फ्लड प्लेन जोन हेतु सर्वेक्षण कराकर नो डेवलेपमेन्ट जोन एवं रेगुलेटरी जोन का चिन्हीकरण कर नदी के दोनों किनारों के लिये लेटीटयूड व लांगीटयूड उपलब्ध कराने के लिये सम्भावित लागत का विवरण उपलब्ध कराने हेतु अधिशासी अभियन्ता जल विज्ञान खण्ड, बहादुराबाद को पत्र प्रेषित किया गया था जिसके द्वारा प्रोफार्मा बिल उपलब्ध कराने के लिये लिखा गया है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत रामगंगा नदी के फ्लड प्लेन जोन के डिमारकेशन की कार्यवाही के उपरान्त ही स्थिति स्पष्ट हो पायेगी कि ग्राम सैफपुर पल्ला स्थित टोरेन्ट गैस प्रा0लि0 के निर्माण से फ्लड जोन में स्थित है या नहीं।

संलग्नक: 1. इस कार्यालय का कार्यालय ज्ञाप संख्या 1176/सिकामंमु, दिनांक 10.02.2023

2. बा0ख0मु0 का पत्रांक 460/बाखंमु/रामगंगा, दिनांक 13.03.2023

3. दिनांक 16.02.2023 की निरीक्षण आख्या।

अधीक्षण अभियन्ता
सिंचाई कार्य मण्डल, मुरादाबाद

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ खण्ड, मुरादाबाद को उनके 460/बाखंमु/रामगंगा, दिनांक 13.03.2023 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है तथा यह भी अवगत कराये कि अब तक उक्त प्रकरण पर कार्यवाही क्यों नहीं की गयी।

अधीक्षण अभियन्ता
सिंचाई कार्य मण्डल, मुरादाबाद

राष्ट्रीय हरित अधिकरण, भारत सरकार, नई दिल्ली में गोजित ओ०ए० सं०-०८६/२०२२, आदेश कुमार यादव बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० में पारित आदेश दिनांक:-११.०१.२०२३ के सम्बन्ध में अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल मुरादाबाद के पत्रांक:-११७६/सिंचाई/एन०जी०टी०/दिनांक: १०.०२.२०२३ द्वारा गठित जांच समिति द्वारा दिनांक:- १६.०२.२०२३ को किये गये संयुक्त स्थलीय निरीक्षण पर निरीक्षण आख्या -

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, भारत सरकार, नई दिल्ली में गोजित ओ०ए० सं०-०८६/२०२२, आदेश कुमार यादव बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० में पारित आदेश दिनांक:-११.०१.२०२३ के परिप्रेक्ष्य में क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, एल०-१-ए/आई०एन०एस०-१, आवास विकास कालोनी, मीठ विहार, दिल्ली रोड, मुरादाबाद के पत्रांक:-१५७/एन०-१३/८६८/२२/जनरल, दिनांक:-०१.०२.२०२३, जिलाधिकारी मुरादाबाद के पत्रांक-१२२३/आशु०-एन०जी०टी०/२०२३, दिनांक:-१८.०१.२०२३, मुख्य अभियन्ता (पूर्वी गंगा), सिंचाई एवं जल ससाधन विभाग, उ०प्र० मुरादाबाद के पत्रांक:-९७८/मुअपूर्ग/जांच-जनरल, दिनांक:-०७.०२.२०२३ एवं अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल मुरादाबाद के पत्रांक:-११७६/सिंचाई/एन०जी०टी०/दिनांक:-१०.०२.२०२३ द्वारा गठित जांच समिति द्वारा दिनांक:-१६.०२.२०२३ को विषयगत प्रकरण ग्राम सैफपुर पल्ला स्थित टोरेन्ट गैस प्रा० लि० के निर्माण से सम्बन्धित स्थल का संयुक्त स्थलीय निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण पर निरीक्षण आख्या निम्नानुसार है-

ग्राम सैफपुर पल्ला, तहसील व जिला मुरादाबाद में टोरेन्ट गैस, प्रा० लिमिटेड के प्लान्ट की रामगंगा नदी के मध्य से वास्तविक दूरी ६५० मीटर से अधिक है एवं जहां गैस प्लांट स्थापित/निर्मित किया गया है। फ्लड प्लेन जोन की परिभाषा कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जलसंसाधन विभाग, उ०प्र० लखनऊ के पत्रांक:-३८/काप्रअ/यू-९/अनिम-३, दिनांक:-१५.०१.२०१५, पत्रांक:-१४१७ बी०/०९-२७-सि०-२-१८१ बा०/०९, सिंचाई अनुभाग-२, दिनांक:-१६ मार्च, २०१० (संलग्न) एवं कार्यालय मुख्य अभियन्ता, (पूर्वी गंगा), सिंचाई एवं जलसंसाधन विभाग, उ०प्र० मुरादाबाद के कार्यालय डाप संख्या:-७०८९/मुअपूर्ग/दिनांक:-२७.०८.२०२० के द्वारा निम्नानुसार है-

- १.जहां नदी के दोनों ओर मार्जिनल तटबन्ध निर्मित है ऐसे स्थानों पर दो तटबन्धों के मध्य का क्षेत्र।
- २.जहां नदी के दोनों ओर मार्जिनल तटबन्ध निर्मित नहीं है ऐसे स्थानों पर शहरी क्षेत्र में १:५० बाढ़ आवर्त (Flood Frequency) तथा ग्रामीण क्षेत्र में १:२५ बाढ़ आवर्त का डूब क्षेत्र।

विगत २५ वर्षों में रामगंगा नदी का अधिकतम जलस्तर प्राकृतिक कारणों से रहा है। वर्ष २०१० में अत्यधिक वर्षा के कारण हरेवली बैराज से २८५३८० क्यूसेक व खौ बैराज से ५८८६१ क्यूसेक जो कुल ३४४२४१ क्यूसेक था एवं अन्य नदियों जैसे डेला व फीका आदि का पानी मिलाकर लगभग ४.०० लाख क्यूसेक पानी गेज साइट कटघर से प्रवाहित हुआ था जिस कारण रामगंगा नदी में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई थी। उपरोक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत विगत समय में उक्त क्षेत्र में रामगंगा नदी में अधिक जल प्रवाह हुआ था। निरीक्षण के दौरान ग्रामवासियों द्वारा अवगत कराया गया कि अत्यधिक बाढ़ में उक्त क्षेत्र जलमग्न रहता है।

अवगतनीय है कि मा० एन०जी०टी० के आदेशों के क्रम में गंगा नदी में फ्लड प्लेन जोन के डिमारकेशन हेतु पिलर लगाये जा चुके हैं साथ ही गंगा की सहायक नदी रामगंगा एवं अन्य नदियों में फ्लड प्लेन जोन के डिमारकेशन की कार्यवाही की जा रही है।


साथ ही यह भी अवगत कराना है कि तटबंध बनाने के लिए मानक के अनुसार रामगंगा नदी के मध्य से दूरी ६१५ मीटर आती है जबकि प्लान्ट नदी से ६५० मीटर से अधिक दूर है।


(दिनेश कुमार)
सदस्य

जूनियर इंजीनियर
बाढ़ खण्ड, मुरादाबाद


(अरविन्द कुमार)
सदस्य

जूनियर इंजीनियर
बाढ़ खण्ड, मुरादाबाद


(प्रदीप कुमार सागर)
सदस्य

जूनियर इंजीनियर
बाढ़ खण्ड, मुरादाबाद


(रामलाल सिंह)
सदस्य

सहायक अभियन्ता
बाढ़ उपखण्ड-प्रथम, गढमुक्तेश्वर


(अजय प्रसाद सिंह)
अध्यक्ष

अधिशाली अभियन्ता
बाढ़ खण्ड, मुरादाबाद

सहायक अभियन्ता
बाढ़ उपखण्ड-द्वितीय,
मुरादाबाद।

39

Annexure-8

सेवा में,

उप जिलाधिकारी
सदर, मुरादाबाद।

पत्रांक :- C-20//स0अ0-2/सामान्य,

दिनांक :- 21/9/2020


विषय :- जनपद मुरादाबाद के अन्तर्गत ग्राम सैफपुर पल्ला में टोरन्ट गैस प्रा0लि0 द्वारा किये जा रहे अवैध निर्मा
के सम्बन्ध में।

महोदय

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद मुरादाबाद के अन्तर्गत ग्राम सैफपुर पल्ला
टोरन्ट गैस प्रा0लि0 द्वारा डूब क्षेत्र में अवैध रूप से निर्माण कार्य किया जा रहा है जिससे जल भराव की स्थि
उत्पन्न हो गई है तथा किसानों की फसल बर्बाद हो रही है। उक्त क्षेत्र फ्लड प्लेन जोन में आता है एवं शासना
सं0 1417बी/09-27-सिं-2-181बाढ़/09, दिनांक 16.03.2010 के अनुसार फ्लड प्लेन जोन में निर्माण अवैध
उक्त अवैध निर्माण को हटाने के सम्बन्ध में टोरन्ट गैस प्रा0लि0 को दिनांक 05.09.2020 को पत्र लिखा गया है पर
इनके द्वारा अवैध निर्माण नहीं हटाया गया है तदोपरान्त दिनांक दिनांक 18.09.2020 को थाना प्रभारी, थाना-कटघ
मुरादाबाद को अवैध रूप से हो रहे निर्माण कार्य को रूकवाने हेतु एफ0आई0आर0 दर्ज करने हेतु लिखा गया
परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। अतः महोदय से अनुरोध है कि उक्त अवैध निर्माण को हटाने हेतु अ
स्तर से कार्यवाही करने की कृपा करें।


संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय


सहायक अभियन्ता
बाढ़ उपखण्ड द्वितीय
मुरादाबाद

पत्रांक:- C-20//सअद्वि/सामान्य तदिनांक:- 21/09/20

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ खण्ड, मुरादाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


21/9/20


सहायक अभियन्ता
बाढ़ उपखण्ड द्वितीय
मुरादाबाद